


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-5/स्थानांतरण/वि.विषय/2019-20/1-163 दिनांक-29.09.2019 के तहत सबीना खान, व्याख्याता, उर्दू राउमावि टोडारायसिंह, टोंक स्थानान्तरणाधीन महात्मा गांधी राउमावि गुलजार बाग टोंक का स्थानांतरण राबाउमावि रेलमगरा, राजसमन्द एव हारून रशीद व्याख्याता उर्दू का स्थानांतरण राउमावि महात्मा गांधी राउमावि गुलजार बाग, टोंक स्थानान्तरणाधीन राबाउमावि, रेलमगरा, राजसमन्द से महात्मा गांधी राउमावि गुलजार बाग टोंक किया गया। सबीना खान ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3293/19 सबीना खान बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3293/19 में माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 13.11.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.9.19 का प्रभाव एव क्रियान्वयन अपीलार्थीयः सबीना खान की सीमा तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.9.19 को अपीलार्थीया सबीना खान के संबंध में माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सबीना खान, व्याख्याता उर्दू महात्मा गांधी राउमावि गुलजार बाग टोंक के पद पर पदस्थापित रहेंगी एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित, हारून रशीद का अन्तरिम समायोजन दोहरा पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राउमावि आसीद भौलवाड़ा, व्याख्याता, उर्दू के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अधधीन रहेंगे।


  
(नथमल डिल्ल)   
आई.एस.   
निदेशक   
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान   
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/स्थान आदेश/19-20/

दिनांक:-29/11/2019

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
04. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, को सूचनाथे।
05. जि.शि.अ. (माध्य-शिक्षा) जयपुर।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजरा।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
08. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर